



राज्यपाल का विशेष संबोधन और संवैधानिक इतिहास

प्रश्न पत्र- 2 (संसद और राज्य विधानमंडल)

स्रोत- द हिन्दू

चर्चा में क्यों ?

- ▶ हाल ही में तमिलनाडु के CM स्टालिन द्वारा राज्यपाल के भाषण को बाधित करने के कारण राज्यपाल, तमिलनाडु विधानसभा के सत्र को बीच में छोड़ चले गये।

पृष्ठभूमि

- ▶ इंग्लैंड और भारत दोनों देशों में, एक सम्मानित संवैधानिक परंपरा है कि राजा या राष्ट्रपति या राज्यपाल को भाषण या विशेष संबोधन करना चाहिए जो राष्ट्र या राज्य को उन नीतियों की जानकारी देता है जिनमें निर्वाचित सरकार की आगामी योजनाएँ शामिल होती हैं।
- ▶ इंग्लैंड में संसद का कोई भी सदन किसी भी सार्वजनिक कार्य के साथ किसी भी अगले सत्र में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि इसे स्वयं राजा द्वारा या उनकी ओर से काम करने वाले लॉर्ड्स या आयुक्तों द्वारा नहीं संबोधित नहीं किया जाता। राजा का भाषण इस प्रकार संसद के प्रत्येक नए सत्र की औपचारिक शुरुआत है और यह आगामी सत्र के लिए सरकार की नीति एवं व्यापार के इच्छित कार्यक्रम को बताता है।
- ▶ भारत ने संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया और संविधान सभा ने 18 मई, 1949 को इस प्रथा को अपनाने का फैसला किया।

विवाद का कारण

- ▶ तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने वर्ष 2023 के लिए तमिलनाडु की विधान सभा के उद्घाटन के अवसर पर कुछ पैराग्राफों को छोड़ कर और अपने विशेष संबोधन के आधिकारिक पाठ से हटकर नवीन भाषण दिया।
- ▶ यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्यपाल ने सरकार द्वारा भेजे गए अभिभाषण को पढ़ने से इनकार किया हो।
- ▶ 1967 में राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद ने ऐसा ही किया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर संसद के दोनों सदनों को एक विशेष अभिभाषण देने की व्यवस्था है।

अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को प्रत्येक राज्य विधान सभा के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में और दोनों सदनों में जहाँ भी राज्य में विधान परिषद है, एक विशेष अभिभाषण देने की व्यवस्था है।

- ▶ यह परेशान करने वाली बात है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा संवैधानिक परंपराओं का गंभीर उल्लंघन किया जाना जारी है।
- ▶ **संविधान का अनुच्छेद 361**, राज्यपाल को किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट देता है क्योंकि हमारे संस्थापकों को उम्मीद थी कि राज्यपाल ईमानदारी और मर्यादा के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।
- ▶ पश्चिम बंगाल के एक बाद के राज्यपाल, धर्मवीर ने भी सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए भाषण के कुछ अंशों को छोड़ दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तब तक राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा और बर्खास्तगी को संवैधानिक करार दिया।

कानूनविदों के विचार

- ▶ **जवाहरलाल नेहरू** ने 1960 में लोकसभा में कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। "यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी गलत या आपत्तिजनक है, तो इसके लिए सरकार को दोष देना चाहिए, न कि राष्ट्रपति को, और यह सरकार की आलोचना या निंदा करने हेतु सदस्यों के लिए खुला है।"
- ▶ प्रोफेसर के.टी. शाह ने राष्ट्रपति को विवेकाधिकार देते हुए **अनुच्छेद 87 में संशोधन का प्रस्ताव** दिया कि अगर राष्ट्रपति "नीति के अन्य विशेष मुद्दों पर, जिन्हें संबोधन के लिए उपयुक्त समझे, पर भाषण दे सकते हैं परन्तु इस संशोधन को खारिज कर दिया गया क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति, संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
- ▶ इसी तरह की शक्ति राज्यपाल को **अनुच्छेद 175** के तहत दी गई थी। इसमें एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान की गयी है, तो किसी भी राज्यपाल (या यहाँ तक कि राष्ट्रपति) के लिए मौजूदा सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण से कई पैराग्राफों को छोड़ना एक गंभीर चिंता का विषय है।

न्यायालयों की टिप्पणियां

- ▶ कलकत्ता हाईकोर्ट ने **सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह बनाम अध्यक्ष**, पश्चिम बंगाल विधान सभा (1966) में इस लेख की व्याख्या करते हुए कहा कि विशेष संबोधन एक निष्क्रिय या औपचारिक प्रक्रिया नहीं है।
- ▶ यह सदस्यों को राज्य सरकार की कार्यकारी नीतियों और विधायी कार्यक्रम के बारे में सूचित करता है।
- ▶ उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विशेष अभिभाषण का संबोधन विधायी बहस और बजटीय आलोचनाओं को बाधित करता है।
- ▶ HC ने कहा कि जब राज्यपाल, अनुच्छेद- 176 के तहत अपना अभिभाषण देने में विफल रहता है और सदन के पटल पर अभिभाषण देने के बाद सदन से बाहर चला जाता है। तो यह केवल अनियमितता है, अवैधता नहीं है।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संवैधानिक परंपराएं संविधान का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि इसका लिखित पाठ और इसमें न केवल संवैधानिक नैतिकता के तहत केवल संविधान के लिखित पाठ का पालन करना शामिल है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं का भी पालन करना शामिल है।

- अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति उन मामलों के संबंध में प्रयोग करने योग्य है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। जबकि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद- 163) की सलाह से बंधे हैं, ऐसी सलाह की बाध्यकारी प्रकृति उसकी संवैधानिकता पर निर्भर करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त शक्ति, राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण कर सकती है।
2. राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह हेतु बाध्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- राज्यपाल का पद, संवैधानिक रूप से, संघवाद और लोकप्रिय लोकतंत्र दोनों पर एक जाँच के रूप में कार्य करता है। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।